प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 557/2015

रोशनलाल मरकाम पिता सुखदेव मरकाम उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी– ग्राम कोडेकुर्से, थाना कोडेकुर्से,, जिला उत्तर बस्तर,कांकेर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना कोडेकुर्से, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु : श्री मुकेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु : श्री अनमोल शर्मा, पी. एल.

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

खण्ड पीठ : न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत

बोर्ड पर निर्णय

(13/09/2022)

माननीय न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत,

1. विद्वत अपर सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) (संक्षेप में 'विचारण न्यायालय') द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 96/2014 में दिनांक 22/04/2015 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय की वैधानिकता, शुद्धता एवं न्यायिक औचित्य पर आपत्ति करते हुए, जिसके तहत अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया है तथा आजीवन कारावास एवं 2000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास अधिरोपित किया गया है, अपीलार्थी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 374(2) के अन्तर्गत इस न्यायालय के समक्ष दांडिक अपील प्रस्तुत किया है।

2. अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, 'भा.दं.सं.') की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, जिस पर दिनांक 14/06/2014 को प्रातः लगभग 11.30 बजे गांव कोडेकुर्से में अपनी पत्नी मंजू मरकाम की हत्या करने का आरोप था।

प्रकरण के तथ्य

3. अभियोजन पक्ष का घटनाक्रम संक्षेप में यह है कि दिनांक 14/06/2014 को अपीलार्थी मदिरा के प्रभाव में अपनी पत्नी मृतका मंजू मरकाम से धनराशि की मांग की। जब मृतका मंजू मरकाम ने धनराशि देने से इंकार कर दिया तो अपीलार्थी ने घर में कपड़ा काटने के लिए रखी कैंची से मृतका के पेट में घोंपकर उसकी हत्या कर दी और कैंची लेकर भाग गया। तत्पश्चात मृतका को गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिजनों द्वारा क्रिश्चियन अस्पताल बठेना धमतरी में भर्ती कराया गया तथा दिनांक 15/06/2014 को रात्रि लगभग 11.30 बजे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात पुलिस सिटी कोतवाली धमतरी द्वारा मर्ग सूचना (प्र.पी/9) दर्ज कर शव का शव–परीक्षण कराया गया। धमतरी से मर्ग डायरी प्राप्त होने पर पुलिस थाना कोड़ेकुर्से द्वारा मर्ग सूचना (प्र.पी/5) एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी/6) दर्ज की गई। जांच के दौरान अपीलार्थी को दिनांक 26/06/2014 को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भानुप्रतापपुर के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और दिनांक 22/09/2014 के आदेश द्वारा उसे सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। अपीलार्थी पर उपरोक्तानुसार आरोप लगाया गया था। उसने निर्दोष होने का अभिवाक किया और विचारण चाहा। प्रकरण को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 13 साक्षियों से पूछताछ की और 16 दस्तावेज प्रदर्शित किए। अभियुक्त का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत कथन दर्ज किया गया। अपीलार्थी ने अपने बचाव में (ब.सा. 1) सागवंतीन बाई से पूछताठ की। विचारण न्यायालय ने अपने समक्ष रखे गए साक्ष्यों और सामग्री का उचित अवलोकन करने के बाद अपीलार्थी को दोषी ठहराया और दिनांक 22/04/2015 के आक्षेपित निर्णय के अनुसार सजा सुनाई, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये :–

(क) दोषसिद्धि और दंडादेश के अधिनिर्णय का आक्षेपित निर्णय पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री के विपरीत है और विधि की दृष्टि में अनूचित है। विचारण न्यायालय ने अपने समक्ष रखे गए साक्ष्य और सामग्री का उचित परिप्रेक्ष्य में अवलोकन नहीं किया और अनूचित तरीके से दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया। विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि को यथावत रखने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा लाए गए साक्ष्य को प्रस्तुत करने में विधि के साथ–साथ तथ्य की भी त्रुटि की।

(ख) उन्होंने कहा कि कथित चक्षुदर्शी साक्षी विश्वास योग्य नहीं है और वह विश्वसनीय साक्षी नहीं है, इसलिए कथित चक्षुदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि यथावत नहीं रखी जा सकती। उन्होंने आगे कहा कि मृतका द्वारा दिए गए मौखिक मृत्यु–कालिक कथन के साक्षी विश्वसनीय नहीं हैं और यह अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता, इसलिए आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाना चाहिए।

(ग) वह आगे प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी का ज्ञापन और कैंची की जब्ती विधिवत साबित नहीं हुई है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी ने अपराध कारित किया है।

(घ) अंत में, उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि यदि कथित अपराध अपीलार्थी द्वारा किया गया था तो अपीलार्थी की ओर से अपनी पत्नी की हत्या करने का कोई पूर्वधारणा और उद्देश्य नहीं था। यह घटना मृतका द्वारा धन का भुगतान न करने के एक तुच्छ से विवाद्यक पर हुई थी और इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भा.दं.सं.. की धारा 304 भाग । या भाग ॥ में परिवर्तित किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ

5. दूसरी ओर राज्य के अधिवक्ता ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये

(क) विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उपरोक्त अपराध का दोषी ठहराते हुए पूर्णतः न्यायोचित निर्णय दिया है, क्योंकि उसने अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों और सामग्री की समुचित और सावधानीपूर्वक जांच की है तथा स्पष्ट निष्कर्ष दिया है कि अपीलार्थी ने ही उपरोक्त अपराध कारित किया है, इसलिए दोषसिद्धि और दंडादेश के अधिनिर्णय में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(ख) वह आगे प्रस्तुत करता है कि चक्षुदर्शी साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण को स्पष्ट रूप से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है और चक्षुदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य विश्वास को प्रेरित करती है और साक्षी के परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय यथावत रखा जा सकता है।

(ग) वह यह भी प्रस्तुत करता है कि मृतका को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जहां उसने साक्षियों के समक्ष मौखिक मृत्यु कालिक कथन किया था, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह अपीलार्थी है जिसने मृतका को चोट पहुंचाई है। ज्ञापन और जब्ती विधिवत साबित हो चुकी है और इसलिए, अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(घ) अंत में, वह प्रस्तुत करता है कि मृतका को लगी चोट को देखते हुए; यह भा.दं.सं. की धारा 304 भाग । या भा.दं.सं. की धारा ॥ में परिवर्तन का प्रकरण नहीं है। संक्षेप में वह तर्क प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी की अपील का कोई आधार नहीं है और यह अस्वीकार किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विश्लेषण और निष्कर्ष

6. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है, उनकी परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

7. विचार के लिए पहला प्रश्न यह है कि क्या मृतका मंजू मरकाम की मृत्यु प्रकृति में मानववध की थी या नहीं। उपलब्ध साक्ष्यों, विशेषकर डॉ. (श्रीमती) माधुरी वानखेड़े (अ.सा. 11) और डॉ. यू.एल. कौशिक (अ.सा. 13) के कथनों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा हत्या का निष्कर्ष दर्ज किया गया है। डॉ. (श्रीमती) माधुरी वानखेड़े (अ.सा. 11) और डॉ. यू.एल. कौशिक (अ.सा. 13) ने मृतका के शव का शव–परीक्षण किया और मृतका को लगी चोटों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष दिए:

> **" <u>बाह्य परीक्षण</u>**
>
> 1 मृतक का शरीर अकडा हुआ था खून की कमी को (Pale look) दर्शित कर रहा था।
>
> 2 दोनो आंखो की पुतलियां फैली हुई थी तथा खुन की कमी दर्शित हो रही थी।
>
> 3 दोनो आंखे बंद अवस्था में थी। नाक के दोनों छेद खुले हुये थे तथा मुंह हल्का खुला हुआ था।
>
> 4 शरीर का छाती से जलकर पेट तक का भाग Pale look दर्शित कर रहा था तथा पेट फूला हुआ था।
>
> 5 बाह्य जननांग सामान्य अवस्था में थे।
>
> 6 छाती के पास ग्शजिलाए पाए एरिया में टांका लगा हुआ घाव था जो कि काले रंग के धागे से और तीन अलग–अलग जगहों पर सीला गया– था। पहले सीले हुये घाव की लंबाई 4.5 से.मी. थी। तथा उसके नीचे बाये तरफ के अंदरूनी भाग में मेमेरीलाईनस में लगभग 2.5 से.मी. लंबाई का सीला हुआ घाव था जो।
>
> 7 सीले हुये घाव को खोलने के पश्चात् पेरीटोनियम तक फेला हुआ तथा पेरीटोनियम कैबिटी खुन से भरा हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आन्तरिक परीक्षण

1. छाती के बांयी त्तरफ जहां सीला हुआ घाव था वहां छाती की सातवीं और आठवी पसली की हड्डी टुटी हुई थी जो कि बहुत ही धारदार व तिरछा तरीके से कटा हुआ था।छाती की स्टरनम में भी –2 से 3 से.मी. का कटा हुआ घाव था स्टरनम के पीछे खुन का थक्का ज़मा हुआ था। |

2 हृदय के दोनों भाग मे न नहीं था।

3 फेफडा श्वास नली,गुर्दा,प्लीहा सब खुन की कमी (Pale look) को दर्शित कर रहे थे।

4 यकृत के दाहिने साईड के निचले हिस्सा में कटा हुआ घाव था जो लगभग 4.5 * 0.5 * 0.5 से.मी. था। तथा वही दूसरा घाव पहले घाव से 1 सेमी के लगभग 2.5 * 0.5 * 0.25 से.मी. था। वह भी तेज कटा हुआ घाव था।

5 खाने की थैली के पीछे भाग में (Posterosuperly) में भी कटा हुआ घाव था जिससे खाने की अधपचे अंश बाहर निकल रहे थे।

6 पेशाब की थैली खाली थी।

7 मस्तिष्क के अंदरूनी भाग खुन की कमी को दर्शित कर रहा था।

8. डॉ. यू.एल. कौशिक (अ.सा. 13) ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृत्यु का कारण मानववध की प्रकृति का था तथा शव–परीक्षण (प्र.पी/14) से सिद्ध हुआ। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से, विशेष रूप से डॉ. यू.एल. कौशिक (अ.सा. 13) के कथन से, मृतका की हत्या की विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किये गये निष्कर्ष को विकृत और अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह साक्ष्य की उचित विवेचना पर आधारित है, इसलिए, हमें कोई संकोच नहीं है और हम मानते हैं कि मृतका की मृत्यु

मानववध की प्रकृति की थी और अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सक्षम था। अब विचारणीय अगला प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान अपीलार्थी अपराध का सुत्रधार है या नहीं?

9. अभियोजन पक्ष ने चक्षुदर्शी साक्षी के साथ–साथ मृतका द्वारा दिए गए मौखिक मृत्यु कालिक कथन और वर्तमान अपीलार्थी के कथन पर कैंची की बरामदगी के आधार पर वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध अपना प्रकरण प्रस्तुत किया। हमने कुमारी अरुणा (अ.सा. 5) की कथन की सावधानीपूर्वक जांच की है, जो एक चक्षुदर्शी साक्षी होने का दावा करती है। अपने कथन में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना की तिथि को अपीलार्थी मदिरा के प्रभाव में अपनी पत्नी (मृतका) मंजू मरकाम के साथ विवाद कर रहा था। तत्पश्चात, वह और मृतका मंजू मरकाम डिब्बा लाने के लिए एक दुकान पर गई और वापस आने के बाद वे डिब्बे में अचार डाल रही थी, उस समय अपीलार्थी ने ईंट फेंककर उस पर वार किया। उसने आगे कहा कि वह और मृतका कमरे के अंदर गए और मृतका ने कहा कि अपीलार्थी कुछ करने वाला है, इसलिए उसे (मृतका को) कमरे में बंद कर दिया जाए। उस समय अपीलार्थी कैंची लेकर आया और वार करने की कोशिश की और जब वह और मृतका घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो अपीलार्थी ने उसे धक्का दिया और मृतका की छाती पर यकृत के पास चाकू मार दिया। प्रतिपरीक्षण के दौरान यह साक्षी मुख्य परीक्षण में दी गई अपने कथन पर अडिग रही। हालांकि, उसने कहा कि पुलिस ने उसका कथन दिनांक 25/06/2014 को दर्ज किया जबकि घटना दिनांक 14/06/2014 को हुई थी। उसने आगे कहा कि अपीलार्थी ने मदिरा के प्रभाव में विवाद किया। उसने आगे कहा कि मृतका द्वारा धनराशि देने से इनकार करने के कारण विवाद हुआ था। हालांकि, उसने स्पष्ट रूप से इनकार किया कि उसने विवाद नहीं देखा है। उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसने 10–12 दिनों के बाद पुलिस के कहने पर मिथ्या कथन प्रस्तुत किया है। इस साक्षी की सावधानीपूर्वक जांच से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि वह एक स्वाभाविक चक्षुदर्शी है और उसके कथन से उसकी साक्ष्य पर संदेह करने के लिए कोई भी दोषपूर्ण तथ्य अभिलेख पर नहीं आई है। इसलिए, इस चक्षुदर्शी साक्षी का कथन विश्वास योग्य है; इसलिए इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को अस्वीकार किया जाता है।

10. अपीलार्थी का दूसरा तर्क यह है कि मृतका द्वारा साक्षियों को दिए गए मौखिक मृत्यु कालिक कथन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस संबंध में हमने सुकोतीन (अ.सा. 1) के कथन का अवलोकन किया है, जो अपीलार्थी की सास है। अपने मुख्य परीक्षण में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वह अपनी पुत्री (मृतका) को देखने अस्पताल गई थी, तो उसकी पुत्री ने उसे स्पष्ट रूप से बताया था कि अपीलार्थी ने उसे कैंची से मारा है। प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जिससे उसके कथन पर विश्वास न किया जा सके। इसी प्रकार के कथन रामूराम मंडावी (अ.सा. 2) तथा माने सिंह (अ.सा. 3) ने भी दिए हैं, तथापि इन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में उन्होंने कहा है कि मृतका की हालत गंभीर थी तथा वह बात करने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन इन साक्षियों की संचित जांच, अस्पताल में उनकी उपस्थिति को अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे मृतका के रिश्तेदार हैं और उनके कथन को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि साधारण बोलचाल में जब कोई व्यक्ति किसी घायल से मिलने जाता है तो वह चोटों का कारण पूछता है। इसलिए, इन साक्षियों सुकोतीन (अ.सा. 1), रामूराम मंडावी (अ.सा. 2) और माने सिंह (अ.सा. 3) के समक्ष मृतका द्वारा दिए गए मौखिक मृत्यु कालिक कथन को बाद में सोचा हुआ या सिखाया हुआ नहीं कहा जा सकता। यह न्यायालय इसे झूठे आरोप का प्रकरण नहीं मानता, खासकर तब जब चक्षुदर्शी साक्षी ने अपीलार्थी के विरुद्ध अभिसाक्ष्य दिया हो।

11. अब हम अपीलार्थी के अगले तर्क पर विचार करते है कि अपीलार्थी के ज्ञापन पर कैंची की जब्ती साबित नहीं हुई। अभियोजन पक्ष ने ज्ञापन के आधार पर कैंची (प्र.पी/3) की बरामदगी साबित करने की कोशिश की, जिसे (प्र.पी/2) के रूप में चिह्नित किया गया है। इसे साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने प्रभु राम (अ.सा. 7) और पदुम सिंह रावते (अ.सा. 8) से पूछताछ की है। प्रभु राम (अ.सा. 7) और पदुम सिंह रावते (अ.सा. 8) के कथन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था और उन्होंने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया। विचारण न्यायालय ने इन साक्षियों के कथन पर चर्चा की है और अन्वेषण अधिकारी जीवन कुमार जांगड़े (अ.सा. 9) के कथन और प्रभु राम (अ.सा. 7) और पदुम सिंह रावते (अ.सा. 8) के हस्ताक्षरों की स्वीकृति के आधार पर (प्र.पी/2) और (प्र.पी/3) पर ज्ञापन और कैंची की जब्ती साबित नहीं हुई है। यहां तक कि यह मानते हुए कि ज्ञापन (प्र.पी/2) और जब्ती (प्र.पी/3) युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुआ है, इस न्यायालय के विचार में अभियोजन पक्ष के प्रकरण में इससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि चक्षुदर्शी के साक्ष्य और मौखिक मृत्यु कालिक कथन का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है और विश्वसनीय पाया गया है। इसलिए, अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार करते हुए कि हत्या के हथियार कैंची की बरामदगी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुई है, पूरे अभियोजन पक्ष के प्रकरण को खारिज करना प्रणांतक नहीं होगा। कृपया मृत्युंजय बिस्वास बनाम प्रणब @ कुट्टी बिस्वास और अन्य (2013) 12 एससीसी 796 देखें।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. उपरोक्त परिचर्चा के आलोक में, यह न्यायालय इस विचार पर है कि अभियोजन पक्ष ठोस और विवेकपूर्ण साक्ष्य द्वारा अपीलार्थी के अपराध को साबित करने में सक्षम था और मौखिक मृत्यु कालिक कथन के चक्षुदर्शियों और साक्षियों के आधार पर दर्ज निष्कर्ष को बिना किसी ठोस साक्ष्य के भ्रष्ट नहीं कहा जा सकता।

13. अब हम भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अपराध को धारा 304 भाग 1 या 304 भाग 2 में परिवर्तित करने के संबंध में अपीलार्थी के अगले निवेदन पर विचार करेंगे।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या एवं एक अन्य**[1] के प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 के दो प्रावधानों के बीच अंतर पर विचार किया है। उच्चतम न्यायालय ने उचित रूप से बताया कि:

> "12. दंड संहिता की योजना में, "आपराधिक मानव वध" एक जाति है और "हत्या" इसकी प्रजाति है। सभी "हत्या" "आपराधिक मानव वध" हैं, लेकिन इसके विपरीत नहीं। सामान्य रूप से कहें तो, "आपराधिक मानव वध" जिसमें "हत्या की विशेष विशेषताएँ" नहीं हैं, "आपराधिक मानव वध" है जो हत्या के समान नहीं है। इस सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में दंड तय करने के उद्देश्य से, संहिता व्यावहारिक रूप से आपराधिक मानव वध की तीन डिग्री को मान्यता देती है। पहला, जिसे प्रथम डिग्री का आपराधिक मानव वध कहा जा सकता है। यह आपराधिक मानव वध का सबसे गंभीर रूप है जिसे धारा 300 में "हत्या" के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे को "द्वितीय डिग्री का आपराधिक मानव वध" कहा जा सकता है। यह धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय है। फिर, "तृतीय डिग्री का आपराधिक मानव वध" है। यह सबसे निम्न प्रकार का आपराधिक मानव वध है और इसके लिए दी जाने वाली सजा भी तीनों श्रेणियों के लिए दी जाने वाली दंडों में सबसे कम है। इस श्रेणी की आपराधिक मानव वध धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है।
>
> 13. "हत्या" और "हत्या के समान न होने वाली आपराधिक मानव वध" के बीच अकादमिक अंतर ने न्यायालयों को एक सदी से भी ज़्यादा समय से विवाद ग्रस्त किया है। भ्रम तब पैदा होता है, जब न्यायालय इन धाराओं में विधानमंडल द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों के वास्तविक दायरे और अर्थ को भूल जाती हैं और स्वयं को सूक्ष्म अमूर्तताओं में उलझा लेती हैं। इन प्रावधानों की विवेचना और अनुप्रयोग के लिए सबसे सुरक्षित तरीका धारा 299 और 300 के विभिन्न खंडों में प्रयोग किए गए मुख्य शब्दों को ध्यान में रखना प्रतीत होता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इस बात पर विचार कि कोई कार्य हत्या या आपराधिक मानव वध से दंडनीय है या नहीं, **पुलिचेरला नागराजू @ नागराज रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**[2] में निम्नानुसार बताया गया था:

> "29. इसलिए, न्यायालय को सावधानी और सतर्कता के साथ उद्देश्य के महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इससे यह तय होगा कि प्रकरण धारा 302 या 304 भाग । या 304 भाग ॥ के अंतर्गत आता है या नहीं। कई तुच्छ या महत्वहीन बातें जैसे फल तोड़ना, मवेशी का भटकना, बच्चों का विवाद, कोई अभद्र शब्द बोलना या यहाँ तक कि आपत्तिजनक

1 1976 (4) SCC 382

2 (2006) 11 SCC 444

दृष्टि डालना, विवाद और समूह संघर्ष का कारण बन सकता है, जो मृत्यु में परिणत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में प्रतिशोध, लालच, ईर्ष्या या संदेह जैसे सामान्य उद्देश्य पूरी तरह से अनुपस्थित हो सकते हैं। कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है। कोई पूर्वचिंतन नहीं हो सकता है। वास्तव में, अपराध भी नहीं हो सकता है। वर्णक्रम के दूसरे छोर पर, हत्या के ऐसे प्रकरण हो सकते हैं जहाँ अभियुक्त यह प्रकरण प्रस्तुत करके हत्या के लिए दंड से बचने का प्रयास करता है कि मृत्यु का कारण बनने का कोई आशय नहीं था। यह सुनिश्चित करना न्यायालयों का कार्य है कि धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के प्रकरणों को धारा 304 भाग I/II के तहत दंडनीय अपराधों में परिवर्तित न किया जाए, या हत्या के समान न होने वाले आपराधिक मानव वध के प्रकरणों को धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या माना जाए। मृत्यु का कारण बनने का आाशय साधारण तौर पर निम्नलिखित में से कुछ या कई परिस्थितियों के संयोजन से पता लगाया जा सकता है: (i) प्रयोग किए गए हथियार की प्रकृति; (ii) क्या हथियार अभियुक्त द्वारा ले जाया गया था या घटनास्थल से उठाया गया था;

(iii) क्या वार शरीर के किसी महत्वपूर्ण भाग पर किया गया है; (iv) चोट पहुँचाने में प्रयुक्त बल की मात्रा; (v) क्या यह कृत्य आकस्मिक विवाद या आकस्मिक लड़ाई या खुलेआम विवाद के दौरान हुआ था; (vi) क्या घटना संयोग से हुई या कोई पूर्वचिंतन था; (vii) क्या कोई पूर्व शत्रुता थी या मृतका कोई अजनबी था; (viii) क्या कोई गंभीर और अचानक उकसावा था और यदि हाँ, तो ऐसे उकसावे का कारण; (ix) क्या यह आवेश में था; (x) क्या चोट पहुँचाने वाले व्यक्ति ने अनुचित लाभ उठाया है या उसने क्रूर और असामान्य तरीके से काम किया है; (xi) क्या अभियुक्त ने एक ही वार किया या कई वार किए। परिस्थितियों की उपरोक्त सूची, निश्चित रूप से, संपूर्ण नहीं है और व्यक्तिगत प्रकरणों के संदर्भ में कई अन्य विशेष परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो उद्देश्य के प्रश्न पर प्रकाश डाल सकती हैं। जैसा हो सकता है वैसा रहने दें।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने www.livelaw.in पर प्रतिवेदित **मोहम्मद रफीक @ कल्लू बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[3] के प्रकरण में दिए गए निर्णय में, जिसमें उपरोक्त निर्णयों पर विचार किया गया था, निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"11. किसी प्रकरण में हत्या, भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या है या भा.दं.सं. की धारा 304 के तहत दंडनीय आपराधिक मानव वध, इस प्रश्न ने देश की न्यायालयों का ध्यान डेढ़ सदी से भी ज्यादा समय से खींचा है, जब से भा.दं.सं. लागू हुई है; इस पहलू पर कई निर्णयजनित विधि उपस्थित हैं, जिनमें इस न्यायालय द्वारा दिए गए सैकड़ों निर्णय भी शामिल हैं। आपराधिक मानव वध के प्रकरण में कई जगहों पर "संभावित" शब्द का प्रयोग

3 LL 2021 SC 461

अनिश्चितता के तत्व को उजागर करता है कि अभियुक्त के कृत्य ने व्यक्ति के प्राण लिए है या नहीं। हालांकि, हत्या को परिभाषित करने वाली भा.दं.सं. की धारा 300 में संभावित शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जिससे अभियुक्त की ओर से छोड़ी गई अस्पष्टता का पता चलता है। अभियुक्त को पूरा भरोसा है कि उसके कृत्य से निश्चित रूप से मृत्यु होगी। आपराधिक मानव वध और हत्या के बीच अंतर करना अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि दोनों में मृत्यु शामिल होती है। फिर भी, दोनों अपराधों में आशय और ज्ञान का एक सूक्ष्म अंतर शामिल है। यह अंतर कृत्य की प्रकृति में निहित है। दोनों अपराधों में आशय और ज्ञान की प्रकृति में बहुत बड़ा अंतर है।"

17. सुखबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य[4] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"21. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम इस विचार पर हैं कि समान्य उद्देश्य के अभाव में सुखबीर सिंह ने आकस्मिक विवाद के बाद आवेश में आकर बिना पूर्वचिंतन के अपराधिक मानव वध का अपराध किया है और उसने क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया है और उसका प्रकरण भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है जो भा. दं. सं. की धारा 304 (भाग 1) के तहत दंडनीय है। विचारण न्यायालयों द्वारा उपरोक्त अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध का दोषी ठहराए जाने के निर्णय को खारिज किया जाता है और उसे भा. दं. सं. की धारा 304 (भाग 1) के तहत अपराधिक मानव वध के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. गुरमुख सिंह बनाम हरियाणा राज्य[5] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने कुछ ऐसे कारक निर्धारित किए हैं जिन्हें भा. दं. सं. की धारा 302 या धारा 304 भाग II के संदर्भ में अभियुक्त को उचित दंड देने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैं:

"23. ये कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें अभियुक्त को उचित दंड देने से पहले ध्यान में रखना आवश्यक है। ये कारक केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। प्रत्येक प्रकरण को उसके विशेष परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए। सुसंगत कारक इस प्रकार हैं:

(क) उद्देश्य या पूर्व शत्रुता;

4 (2002) 3 SCC 327

5 (2009) 15 SCC 635

(ख) क्या घटना क्षणिक आवेग में हुई थी;

(ग) प्रहार या आघात पहुँचाते समय अभियुक्त का उद्देश्य/ज्ञान;

(घ) क्या मृत्यु तुरंत हुई या पीड़ित की कई दिनों के बाद मृत्यु हो गई;

(ड) चोट की गंभीरता, आयाम और प्रकृति;

(च) अभियुक्त की आयु और सामान्य स्वास्थ्य स्थिति;

(छ) क्या चोट अचानक विवाद में पूर्व–चिंतन के बिना हुई थी;

(ज) चोट पहुँचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले हथियार की प्रकृति और आकार तथा जिस बल से प्रहार किया गया था;

(झ) अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि और प्रतिकूल इतिहास;

(ञ) क्या चोट पहुँचाना सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं था, बल्कि मृत्यु सदमे के कारण हुई थी;

(ट) अभियुक्त के विरुद्ध लंबित अन्य आपराधिक प्रकरणों की संख्या;

(ठ) घटना परिवार के सदस्यों या करीबी रिश्तेदारों के भीतर हुई;

(ड) घटना के बाद अभियुक्त का आचरण और व्यवहार।

क्या अभियुक्त घायल/मृतक को तुरंत अस्पताल ले गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे उचित चिकित्सा उपचार मिले?

ये कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें अभियुक्त को उचित दंड देते समय ध्यान में रखा जा सकता है।

24. ऊपर बताई गई परिस्थितियों की सूची केवल उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है। हमारे विचार से, अभियुक्त को उचित और उपयुक्त दंड देना न्यायालय का बाध्य दायित्व और कर्तव्य है। न्यायालय का प्रयास यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि अभियुक्त को उचित दंड मिले, दूसरे शब्दों में, दंड अपराध की गंभीरता के अनुसार होनी चाहिए। ये कुछ सुसंगत कारक हैं जिन्हें अभियुक्त को दोषी ठहराते और सजा सुनाते समय ध्यान में रखना आवश्यक है।”

19. इसी तरह, राज्य बनाम संजीव नंदा[6] के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया है कि एक बार यह ज्ञान स्थापित हो जाता है कि इससे मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु का कारण बनने के किसी भी उद्देश्य के बिना, तो जेल की सजा 10 वर्ष तक की अवधि या

6 (2002) 8 SCC 450

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जुर्माना या दोनों हो सकती है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि भा.दं.सं. की धारा 304 भाग II के तहत दंडनीय अपराध बनाने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हुई है और ऐसी मृत्यु अभियुक्त के कृत्य के कारण हुई है और वह जानता था कि उसके ऐसे कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है।

20. इसके अलावा, अर्जुन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य[7] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद्यक पर विस्तृत रूप से विचार किया है और पैरा 20 और 21 में टिप्पणी की है, जो इस प्रकार है:

> "20. इस अपवाद 4 को लागू करने के लिए, जो आवश्यकताएं पूरी की जानी हैं, उन्हें इस न्यायालय द्वारा सुरिंदर कुमार बनाम यूटी, चंडीगढ़ [(1989) 2 एससीसी 217: 1989 एससीसी (क्रि) 348] में निर्धारित किया गया है, इसे निम्नानुसार समझाया गया है: (एससीसी पृष्ठ 220, पैरा 7)
>
> "7. इस अपवाद को लागू करने के लिए चार आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, (I) यह आकस्मिक हुआ विवाद था; (ii) कोई पूर्व–योजना नहीं थी; (iii) कार्य आवेश में आकर नहीं किया गया था; और (iv) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर तरीके से काम नहीं किया था। विवाद का कारण सुसंगत नहीं है और न ही यह सुसंगत है कि किसने उकसावे की प्रस्तुति की या हमला शुरू किया। घटना के दौरान हुए घावों की संख्या निर्णायक कारक नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि घटना आकस्मिक और बिना सोचे–समझे हुई होगी और अपराधी ने क्रोध में आकर काम किया होगा। निसंदेह, अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया होगा या क्रूर तरीके से काम नहीं किया होगा। जहां, आकस्मिक विवाद में, कोई व्यक्ति क्षण की उत्तेजना में कोई हथियार उठाता है जो हाथ में है और चोट पहुंचाता है, जिसमें से एक घातक साबित होता है, वह इस अपवाद के हित का हकदार होगा बशर्ते उसने क्रूरता से कार्य न किया हो।
>
> 21. इसके अलावा अरुमुगम बनाम राज्य [(2008) 15 एस.सी.सी. 590: (2009) 3 एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 1130] में, विधि के इस प्रस्ताव के समर्थन में कि किन परिस्थितियों में भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू किया जा सकता है यदि मृत्यु हो जाती है, तो इसे निम्नानुसार समझाया गया है: (एस.सी.सी. पृष्ठ 596, पैरा 9)
>
> "9. ... .'18. अपवाद 4 की सहायता तब ली जा सकती है जब मृत्यु (क) बिना पूर्वचिन्तन के हुई हो; (ख) आकस्मिक लड़ाई में; (ग) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किए बिना; और (घ) विवाद उस व्यक्ति के साथ हुई हो जिसकी हत्या की गई हो। अपवाद 4 के अंतर्गत प्रकरण लाने के लिए उसमें वर्णित सभी

7 (2017) 3 SCC 247

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

तत्व पाए जाने चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाला "विवाद" को दंड संहिता, 1860 में परिभाषित नहीं किया गया है। विवाद के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। आवेश की तीव्रता के लिए यह आवश्यक है कि आवेश को शांत होने का समय न मिले और इस प्रकरण में, पक्षकारों ने शुरू में मौखिक विवाद के कारण स्वयं को उग्र बना लिया था। विवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की विवाद है, चाहे हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के। इस विषय में कोई सामान्य नियम बनाना संभव नहीं है कि आकस्मिक विवाद किस बात को माना जाएगा। यह तथ्य का प्रश्न है और विवाद आकस्मिक हुआ है या नहीं, यह प्रत्येक प्रकरण के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता है। अपवाद 4 के आवेदन के लिए, यह दर्शाना पर्याप्त नहीं है कि आकस्मिक विवाद हुआ था और कोई पूर्वचिंतन नहीं था। यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है। प्रावधानों में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "अनुचित लाभ" का अर्थ "अऋजु लाभ" है।

21. अर्जुन (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि उद्देश्य और ज्ञान उपस्थित है, तो यह भा.दं.सं. की धारा 304 भाग I का प्रकरण होगा और यदि यह केवल ज्ञान का प्रकरण है और हत्या और शारीरिक चोट पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, तो यह भा.दं.सं. की धारा 304 भाग II का प्रकरण होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. जोसेफ बनाम केरल राज्य[8] के प्रकरण में, जिसमें अभियुक्त ने मृतक के सिर पर दो लाठियों से वार किया था, जो घातक साबित हुआ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया कि यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त का उद्देश्य ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का था जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, ऐसे में, अभियुक्त को इस ज्ञान के साथ आरोपित किया जा सकता है कि ऐसी चोट पहुंचाने से उसकी मृत्यु होने की संभावना थी और आगे अभिनिर्धारित किया कि अपराध भा.दं.सं. की धारा 304 पैरा II के तहत आएगा न कि धारा 302 के तहत।

23. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त अधिकारिक निर्णयों के आलोक में अब हम अपीलार्थी की दोषसिद्धि को धारा 302 से धारा 304 भाग–I अथवा 304 भाग–II में परिवर्तित करने के लिए इस संबंध में साक्ष्यों की जांच करेंगे। चक्षुदर्शी साक्षी कु. अरुणा (अ.सा.–5) के कथन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी घटना दिनांक को मदिरा के प्रभाव में था तथा मृतका से विवाद कर रहा था। इस साक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी ने मृतका के छाती पर लीवर के पास कैंची से वार किया था। इस साक्षी के कथन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलार्थी मृतका से मदिरा पीने के लिए धनराशि मांग रहा था तथा जब उसने मना कर दिया तो उसने विवाद शुरू कर दिया। इस साक्षी के कथन में यह भी आया है कि अपीलार्थी अत्यधिक मदिरा के प्रभाव में था तथा वह अपनी चेतना में नहीं था तथा उसे यह भी

8 1995 SCC (Cri) 165

नहीं पता था कि मदिरा के प्रभाव में क्या हो रहा है। इस साक्षी के कथन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की ओर से कोई पूर्वचिंतन नहीं था और यह आकस्मिक विवाद और आवेश में हुआ, जो मृतका द्वारा मदिरा के लिए अपीलार्थी को धनराशि देने से इनकार करने के कारण आकस्मिक विवाद के बाद हुआ और ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य और मृतका को लगी चोटों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि आपराधिक मानव वध करने का कोई उद्देश्य नहीं था, तथापि, भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 4 के अनुसार, इस न्यायालय के विचार में अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध भा.दं.सं. की धारा 299 की परिभाषा के अंतर्गत आता है, अर्थात आपराधिक मानव वध, जो भा.दं.सं. की धारा 304 भाग II के तहत दंडनीय है।

24. उपरोक्त चर्चा के अनुसार, हम अपीलार्थी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को खारिज करते हैं और उसे धारा 304 भाग II के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराते हैं। बार में यह कहा गया है कि अपीलार्थी दिनांक 23.06.2014 से जेल में निरुद्ध है और उसने 8 वर्ष से अधिक कारावास की सजा पूरी कर ली है। प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और अपीलार्थी के व्यवहार के विषय में न्यायालय के संज्ञान में कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन नहीं लाई गई है, हम एतद्द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा पहले से ही काटी गई अवधि के लिए सजा सुनाते हैं। यदि किसी अन्य प्रकरण में इसकी आवश्यकता नहीं है तो अपीलार्थी को तुरंत रिहा किया जाए।

25. इस प्रकार अपील को उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-	सही/-
(संजय के. अग्रवाल)	**(सचिन सिंह राजपूत)**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**